Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण

किस्म मुकदमा :- राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :-....17 /2020

अनवान तहसीलदार बनाम बादर पुत्र बरता वगैराह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए
05.02.2020	तहसीलदार उपस्थित। प्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 LR Act. 1956 के तहत् पेश किया। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा–निम्बोल, पटवार हल्का निम्बोल, तहसील–जैतारण में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 789, 789/1 जमाबन्दी सेग्रीगेशन कार्य को पूर्ण करने एवं नक्शे में दर्ज खसरा नम्बरों का वन टू वन मिलान के मध्य जिन खसरो मे रिकार्ड मौका तथा नक्शे में भिन्नता आ रही हैं यथा खातेदारों के अलग अलग खसरों नम्बरों की सीमाओं में अन्तर हैं तथा नक्शा अनुरुप खसरों का रकबा मिलान नही होता हैं। ऐसे खसरा नम्बरों के नक्शे की सीमाओं में दुरूस्ती प्रस्ताव निम्नानुसार सेवा में पेश हैं। ग्राम निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) के खसरा नम्बर 789 रकबा 04–06 बीघा व खसरा नम्बर 789/1 रकबा 4–06 बीघा के खातेदारान् का आवेदन एवं जमाबंदी की सत्यप्रतिलिपि पेश कर निवेदन हैं कि निम्नानुसार रिकार्ड दुरस्ती का आदेश प्रदान करने की कृपा करावें। प्रस्तुत प्रा. पत्र एवं मय रिकार्ड की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पटवारी हल्का निम्बोल ने अपनी जांच रिपोर्ट में निवेदन किया कि मौजा–निम्बोल में स्थित भूमि खसरा नम्बर 789 एवं 789/1 गै.मु. भूमि के रूप में खातेदार के नाम वर्तमान जमाबंदी में इन्द्राज हैं। राजस्व रेकर्ड अनुसार मौका स्थिति में भिन्नता हैं। उक्त भिन्नता को दूर करने के लिए दोनों ही खसरों का मूल खसरा नम्बर 789 में विलय करना उचित बताया, उक्त विलय के लिए दोनों खसरों के खातेदारों ने अपनी सहमति दी हैं। तद्नुसार पटवारी हल्का निम्बोल भू.अ.निरीक्षक निम्बोल एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्ताव तैयार कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 एवं 131 के तहत् दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया। तथा यह भी आग्रह किया गया कि उक्तानुसार दुरुस्ती से DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) के कार्य निष्पादन में भी सुविधा होगी। प्रार्थी तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न दस्तावेज तथा पटवारी रिपोर्ट व भू.अ.निरीक्षक की जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तथा संबंधित खसरों के खातेदारों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/सहमति पत्र पर भी गौर किया गया तो पाया कि तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव अनुसार खसरा विलयकरण की शुद्धि करना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता हैं। मौजा–निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल तहसील जैतारण में स्थित भूमि ख.नं. 789, 789/1 जमाबन्दी में खातेदारान् के नाम दर्ज हैं। पटवारी हल्का, भू.अ. निरीक्षक निम्बोल एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं रिकार्ड की सत्यप्रतिलिपि अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं, जिसे प्रस्तावित प्रस्ताव अनुसार खसरा नम्बर 789 रकबा 04–06 बीघा गै.मु. एवं खसरा नम्बर 789/1 रकबा 04–06 बीघा को मूल खसरा नम्बर 789 में विलय करते हुए रकबा 08–12 बीघा गै.मु. इन्द्राज दुरूस्ती के आदेश दिये जाते हैं। खातेदारों के नाम, हक हिस्सा एवं रहन की प्रविष्टियां बदस्तूर जारी रहेगी, तथा कोई भी खातेदार इस बाबत् किसी भी समय संबंधित सक्षम न्यायालय से अगर उचित समझे तो अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगा, तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। पृथक से आदेश जारी हो जो पत्रावली का भाग होगा, आदेश एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रेषित प्रस्ताव जो इस निर्णय का भाग होगा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण	172 12/2/20

Scanned by CamScanner

क्रमांक/कोर्ट/2020/ दिनांक :–..........

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या.....17......./2020 निर्णय दिनांकः–...05.02.2020

अनवान तहसीलदार बनाम बादर पुत्र बस्ता वगैराह

आदेश

(अंतर्गत धारा 136, 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956)

प्रार्थी तहसीलदार जैतारण के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार मण्डल–**निम्बोल** व भू.अ. निरीक्षक–**निम्बोल** की रिपोर्ट तथा तहसीलदार जैतारण की अनुशंषा, खातेदारान् की प्रार्थना के आधार पर तहसील क्षेत्र जैतारण में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर एवं राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार भू–अभिलेखों की डिजिटाईजेशन हेतु संचालित DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) के अंतर्गत जमाबंदी, नक्शा एवं मौका स्थिति की अनुरूपता के लिए मौका एवं नक्शा की स्थिति में भिन्नता के फलस्वरूप तरमीम कार्य में उत्पन्न अवरोध के निराकरण हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं 131 के अनुसरण में ग्राम–**निम्बोल**, तहसील–जैतारण, जिला–पाली की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 में निम्नलिखित खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खातेदारान् के नाम, हक हिस्सा एवं रहन की प्रविष्टियां, कुल रकबा एवं भूमि की किस्म अप्रभावित रहते हुए बदस्तूर जारी रहेगी। कोई भी खातेदार किसी भी समय अगर आवश्यक समझे तो संबंधित सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) के तहत् सूक्ष्म खसरों / इन्द्राज का समामेलन करना

नाम ग्राम–निम्बोल पटवार मण्डल – निम्बोल, भू.अ.नि. – निम्बोल तहसील–जैतारण, जिला–पाली

वर्तमान खाते का विवरण					शुद्धि की प्रविष्टि				
खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	खातेदार का विवरण	खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	खातेदार का विवरण
456	789	4-06	गै.मु.	बादर पुत्र बस्ता पुकाराम भिरदाराम पि. आसुराम चैनाराम हुकमाराम मोहनराम पि. कानाराम भंवरीदेवी पत्नी कानाराम रामचन्द्र गोद शिवनाथ कौम माली सा.देह खातेदार रहन रामचन्द्र गोद शिवनाथ बादर पुत्र बस्ता हुकमाराम का हिस्सा एम.जी.बी.जी.बी. निम्बोल पुकाराम पुत्र आसुराम का हिस्सा आर.एम.जी.बी. निम्बोल।		789	8-12	गै.मु.	बादर पुत्र बस्ता पुकाराम भिरदाराम पि. आसुराम चैनाराम हुकमाराम मोहनराम पि. कानाराम भंवरीदेवी पत्नी कानाराम रामचन्द्र गोद शिवनाथ हिस्सा 1/2 गोकुलराम भौलाराम रतनलाल भागीरथ पि. लूम्बाराम विजयप्रकाश रमेशकुमार पि. पेमा सायरी पत्नी पेमा हिस्सा 1/2 कौम माली सा.देह खातेदार। रहन रामचन्द्र गोद शिवनाथ बादर पुत्र बस्ता हुकमाराम विजयप्रकाश रमेशकुमार भागीरथ का हिस्सा आर.एम.जी.बी. निम्बोल भौलाराम व रतनलाल का हिस्सा बी.ओ.बी. शाखा जैतारण।
814	789/1	4-06	गै.मु.	गोकुलराम भौलाराम रतनलाल भागीरथ पि. लूम्बाराम विजयप्रकाश रमेशकुमार पि. पेमा सायरी पत्नी पेमा कौम माली सा.देह खातेदार। रहन विजयप्रकाश रमेशकुमार भागीरथ का हिस्सा आर.एम.जी.बी. निम्बोल भौलाराम व रतनलाल का हिस्सा बी.ओ.बी. हिस्सा जैतारण।					
योग	2	08-12	गै.मु.		योग	1	08-12	गै.मु.	

नोट :– उपरोक्तानुसार खसरा नम्बर 789 व 789/1 को 789 में विलय किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.02.18 16:37:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: